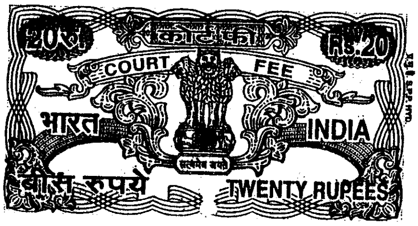

(३५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक —दो / 2017 विविध, जिला सतना

निग० 9030—II/17

श्री आर.एल. सेंगर
द्वारा आज दि. 23-1-17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 23-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1— मथुरा सिंह,
2— लालमणि सिंह
3— जयराम सिंह
4— अभिराम सिंह

सभी के पिता स्व0 श्री हरदाससिंह
सभी निवासी— ग्राम पटरहाई, तहसील रामपुर, बघेलान, जिला सतना (म0प्र0)

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1— इन्द्रजीतसिंह पुत्र श्री रामविशाल सिंह,
2— द्वारिकासिंह पुत्र स्व0 श्री हरदाससिंह,
3— रामगोपालसिंह पुत्र श्री रामविशाल सिंह
4— जगदीशसिंह पुत्र श्री रामविशाल सिंह,
5— अवधेश सिंह पुत्र श्री रामविशाल सिंह
6— अ— बेबीसिंह पत्नी स्व0 श्री महेश सिंह,
ब— निशासिंह पुत्री स्व0 श्री महेश सिंह
स— आशासिंह पुत्री स्व0 श्री महेश सिंह
द— देवेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री महेश सिंह
ई— कीर्तिसिंह पुत्री स्व0 श्री महेशसिंह
7— सुरेश सिंह पुत्र श्री रामसुख सिंह
8— संतोष सिंह पुत्र श्री रामसुख सिंह

सभी निवासीगण ग्राम पटरहाई, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म0प्र0)

—— अनावेदकगण

आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 152, 153 सी0पी0सी0

न्यायालय माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1086—दो / 2015 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2017 में त्रुटि सुधार करने बावत्।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण क्रमांक विविध 9030–दो/2017 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–2–2017	आवेदक अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152, 153 के अंतर्गत प्रस्तुत पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक अभिभाषक ने अपने आवेदन में यह अंकित किया गया है कि इस प्रकरण के मूल आदेश दिनांक 12–1–17 के अंतिम पैरा में अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 27–4–2015 के स्थान पर दिनांक 17–3–1994 टंकित हो गया है। अतः अतः मूल आदेश में हुई टंकण त्रुटि को सुधारा जाये। 3/ मूल अभिलेख एवं आदेश का अवलोकन किया गया। आवेदक का टंकण सुधार हेतु प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है। निगरानी प्रकरण 1086–दो/2015 में पारित आदेश दिनांक 12–1–17 के अंतिम पैरा में अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 27–4–2015 पढ़ा जाये। यह आदेश मूल प्रकरण निगरानी 1086–दो/2015 में पारित आदेश का अंग रहेगा। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	